न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 06/2022 आवंटन निरस्ती

GCMS No. 2022/53

1. दुल्हेसिंह पिता श्री गमेरसिंह राजपूत निवासीः गजपुरा, तहसील–भीण्डर, उदयपुर
2. भोपाल सिंह पिता श्री भंवर सिंह उर्फ वजेसिंह राजपूत निवासीः गजपुरा, तहसील–भीण्डर, उदयपुर
3. भैरूसिंह पिता श्री पृथ्वीसिंह राजपूत निवासीः गजपुरा, तहसील–भीण्डर, उदयपुर
4. नाहर सिंह पिता श्री सज्जनसिंह राजपूत निवासीः गजपुरा, तहसील–भीण्डर, उदयपुर
5. शंकरसिंह पिता श्री बहादुरसिंह राजपूत निवासीः गजपुरा, तहसील–भीण्डर, उदयपुर

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. डालु पिता श्री हरीराम गरू मृतक के बजाय

1/1. जगन्नाथ पिता श्री डालु गरू निवासीः खोडिप, तहसील–भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

1/2. हुक्मीचन्द पिता श्री डालु गरू निवासीः अमरपुरा (खालसा) हाल निवासीः हिरण मगरी, सेक्टर–14, उदयपुर

1/3. जगदीश गर्ग पिता श्री डालु गरू निवासीः अमरपुरा (खालसा), तहसील भीण्डर, उदयपुर

1/4. गीता बाई पुत्री श्री डालु गरू पत्नी श्री दुर्गाशंकर गर्ग निवासीः खोडिप, तहसील–भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

1/5. भंवरी बाई पुत्री श्री डालु गरू पत्नी श्री सोहन लाल गर्ग निवासीः पेच तलाई के सामने, निम्बाहेडा, तहसील–निम्बाहेडा, जिला–चित्तौड़गढ़

1/6. लक्ष्मीबाई पुत्री श्री डालु गरू पत्नी श्री मोहनलाल गर्ग निवासीः अमरपुरा (खालसा), तहसील भीण्डर, उदयपुर

2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भीण्डर, उदयपुर

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत् विपक्षी का आवंटन निरस्त कराने बाबत्

उपस्थितः 1. श्री तुलसीराम डांगी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री अमरसिंह सिसोदिया अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1/1 एवं 1/3 से 1/6

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 06/22 आवंटन निरस्ती
दुल्हेसिंह बनाम डालु
GCMS No. 2022/53

निर्णय

दिनांकः– 23/06/2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवंटन अधिकारी उप जिलाधीश, वल्लभनगर जो वर्तमान उप जिलाधीश भीण्डर में स्थित है के द्वारा उक्त आवंटन मौजा गजपुरा, पटवार हल्का अमरपुरा खालसा, भू–अभिलेख निरीक्षक खेरोदा, नवीन तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर में स्थित आराजी संख्या 46/1 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा किस्म मगरी भूमि स्थित होकर उक्त भूमि संवत 2031 से 2034 के राजस्व रेकर्ड में बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड थी। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर मौके पर अपने पूर्वजों के समय से ही निवास हेतु मकानात एवं मवेशियों के बांधने एवं चारा, घास, लकड़ी आदि रखने हेतु बाड़े बना रखे है। इस तरह उक्त आराजी भूमि का प्रार्थीगण विगत 70–80 वर्षो से भी अधिक समय से बिना किसी रोक टोक व निर्बाद्ध रूप से उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त वर्णित आराजी भूमि या उसके किसी भू भाग पर कभी भी कब्जा काश्त विपक्षीगण या उनके पूर्वज का नहीं रहा है और न ही आज है और ना ही विपक्षीगण मौजा गजपुरा के निवासी है, न ही कभी मौजा गजपुरा में कभी भी निवासरत रहे है। राजस्व रेकर्ड में भी उक्त भूमि की किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रेकर्ड है तथा मौके पर प्रार्थीगण के अपने पूर्वज यानि पिता/दादा के समय से मकानात एवं मवेशी बांधने के बाडे बना रखे है, जिसका पृष्ठांकन खसरा गिरदावरी संवत 2027–31, गिरदावरी संवत् 2023 से 2026 तक में भी प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों के नाम दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर मकानात बने होना दर्ज रेकर्ड है। इस प्रकार उपरोक्त संवत् खसरा गिरदावरी में उक्त भूमि पर वजेसिंह उर्फ भंवरसिंह, दुल्हेसिंह, सज्जनसिंह, पृथ्वीसिंह, बहादुर सिंह आदि के मकानात बने होना एवं कब्जा प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों का होना दर्ज रिकार्ड है तथा इस तरह ग्राम पंचायत द्वारा भी ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर उक्त भूमि पर प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों का कब्जा होने से आवासीय संपरिवर्तन हेतू सक्षम प्राधिकारी का प्रस्ताव भेजा गया। उक्त भूमि पर विपक्षीगण या उसके पूर्वज का कभी भी कब्जा काश्त या उपयोग उपभोग नहीं रहा तथा उक्त भूमि की राज़स्व रेकर्ड में जो किस्म अंकित की गई है वो गैर काबिल काश्त है इस तरह उक्त भूमि न तो विपक्षीगण या उनके पूर्वज को नियमन के योग्य थी और ना ही नियमन की जा सकती है। चूंकि जब विपक्षीगण के पूर्वज का कभी भी कब्जा काश्त नहीं था तो विपक्षीगण के नाम पर जो आवंटन किया गया वो काल्पनिक होकर शून्य है तथा कथित काल्पनिक आवंटन के आधार पर विपक्षीगण या उनके पूर्वज को जो गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये वो भी अवैध होकर शून्य है तथा इसके अलावा आवंटन नियमों के अनुसार आवंटी को आवंटित भूमि को नियमानुसार 10 वर्षो की अवधि में काश्त काबिल या विकसित करनी होती है लेकिन मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर कभी भी विपक्षीगण या उनके पूर्वजो ने कभी भी काश्त नहीं की और न ही उपजाऊ या विकसित की गई मौके पर प्रार्थीगण के अपने पूर्वजों के समय से मकानात व मवेशी बांधने के बाडे बने होकर प्रार्थीगण के कब्ज व उपयोग में चली आ रही है। इसलिए विपक्षीगण को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये वो भी राजस्व

जिला कलक्टर
उदयपुर

कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा मौके की बिना जांच पड़ताल, गलत तरीके से प्रदान किये गये है ऐसी स्थिति में कथित आवंटन ही आवंटन नियमों के विपरित होने से निरस्तनीय है। विपक्षीगण के पूर्वज को कथित आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई उद्घोषणा, सार्वजनिक जारी नहीं की गई ना ही आवंटन नियम 7 की पालना की गई, ऐसी अवस्था मे कथित आवंटन निरस्तनीय है। कथित आवंटन प्रार्थीगण या उनके पूर्वजों को उनके कब्जे से संबंधित किसी प्रकार की आवंटन सलाहकार समिति या आवंटन अधिकारी द्वारा न तो सुना गया ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया है जबकि उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों के कब्जे काश्त में 70–80 वर्षो से चली आ रही है तो उक्त भूमि जब अनओक्युपाइड ही नहीं थी तो ऐसा आवंटन अवैध होकर शून्य है जो प्रार्थीगण निरस्त कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपजिलाधीश वल्लभनगर (हाल भीण्डर) के आवंटन आदेश दिनांक 05.11.1977 मिसल क्रमांक 1460/1977 आवंटन मौजा गजपुरा, पटवार हल्का अमरपुरा खालसा, तहसील भीण्डर को निरस्त कराये जाना फरमाया जावे तथा उक्त भूमि को प्रार्थीगण के नाम पर आवंटित कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्तियां एवं जवाब शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 1/2 अनुपस्थित। जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा गजपुरा, पटवार हल्का अमरपुरा खालसा, भू–अभिलेख निरीक्षक खेरोदा, नवीन तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर में स्थित आराजी संख्या 46/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा किस्म मगरी भूमि स्थित होकर उक्त भूमि संवत 2031 से 2034 के राजस्व रेकर्ड में बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड थी। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय सें काबिज होकर मौके पर अपने पूर्वजों के समय से ही निवास हेतु मकानात एवं मवेशियों के बांधने एवं चारा, घास, लकड़ी आदि रखने हेतु बाड़े बना रखे है। इस तरह उक्त आराजी भूमि का प्रार्थीगण विगत 70–80 वर्षो से भी अधिक समय से बिना किसी रोक टोक व निर्बाद्ध रूप से उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त वर्णित आराजी भूमि या उसके किसी भू भाग पर कभी भी कब्जा काश्त विपक्षीगण या उनके पूर्वज का नहीं रहा है और न ही आज है और ना ही विपक्षीगण मौजा गजपुरा के निवासी है, न ही कभी मौजा गजपुरा में कभी भी निवासरत रहे है। चूंकि जब विपक्षीगण के पूर्वज का कभी भी कब्जा काश्त नहीं था तो विपक्षीगण के नाम पर जो आवंटन किया गया वो काल्पनिक होकर शून्य है तथा कथित काल्पनिक आवंटन के आधार पर विपक्षीगण या उनके पूर्वज को जो गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये वो भी अवैध होकर शून्य है तथा इसके अलावा आवंटन नियमों के अनुसार आवंटी को आवंटित भूमि को नियमानुसार 10 वर्षो की अवधि में काश्त काबिल या विकसित करनी होती है लेकिन मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर कभी भी विपक्षीगण या उनके पूर्वजो ने कभी भी काश्त नहीं की और न ही उपजाऊ या विकसित की गई मौके पर प्रार्थीगण के अपने पूर्वजों के समय से मकानात व मवेशी बांधने के बाडे बने होकर प्रार्थीगण के कब्जा व उपयोग में

जिला कलक्टर
उदयपुर

चली आ रही है। इसलिए विपक्षीगण को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये वो भी राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा मौके की बिना जांच पड़ताल, गलत तरीके से प्रदान किये गये है ऐसी स्थिति में कथित आवंटन ही आवंटन नियमों के विपरित होने से निरस्तनीय है। विपक्षीगण के पूर्वज को कथित आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई उद्घोषणा, सार्वजनिक जारी नहीं की गई ना ही आवंटन नियम 7 की पालना की गई, ऐसी अवस्था मे कथित आवंटन निरस्तनीय है। कथित आवंटन प्रार्थीगण या उनके पूर्वजों को उनके कब्जे से संबंधित किसी प्रकार की आवंटन सलाहकार समिति या आवंटन अधिकारी द्वारा न तो सुना गया ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया है जबकि उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों के कब्जे काश्त में 70–80 वर्षो से चली आ रही है तो उक्त भूमि जब अनओक्युपाइड ही नहीं थी तो ऐसा आवंटन अवैध होकर शून्य है जो प्रार्थीगण निरस्त कराने का अधिकारी है। रेस्पोडेंट खसरा नंबर 46/1 का डालू पिता हरिराम को किया गया आवंटन माननीय न्यायालय आप द्वारा पूर्व में ही दिनांक 24.1.1997 से निरस्त कर दिया गया। फिर भी तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा दिनांक 07.12.2004 से डालू पिता हरिराम गरू को खातेदारी हक प्रदान करते हुए राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर दी। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपजिलाधीश वल्लभनगर (हाल भीण्डर) के आवंटन आदेश दिनांक 05.11.1977 मिसल क्रमांक 1460/1977 आवंटन निरस्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि को प्रार्थीगण के नाम पर आवंटित कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा प्रारंभिक आपत्तियां प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र आवंटन आदेश दिनांक 05.11.1977 विपक्षीगण संख्या 1 से 6 तक के पिता श्री डालू गरू पुत्र हरिराम गरू के नाम विरूद्ध वर्ष 2022 में प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया है जो कि लगभग 45 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है तथा विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई उचित पर्याप्त संतोषजनक कारण भी नहीं है और ना ही देरी माफी को कोई प्रार्थना पत्र है तथा ना ही आवंटन आदेश दिनांक 05.11.1977 की प्रार्थीगण को कब कैसे जानकारी हुई का भी अंकन नहीं किया है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र अवधि बाहर होने से खारिज योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त भूमि पर विपक्षीगण अपने माता–पिता के जीवनकाल से आज से लगभग 90 वर्ष पूर्व से काबिज होकर आधिपत्यधारी है तथा उक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग स्वयं के निवास हेतु मकान बनाकर तथा पशुओं को बांधकर बाडा बनाकर करते चले आ रहे है, विपक्षीगण उक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग निर्विवाद रूप से करते आ रहे है उक्त तथ्यों के आधार पर ही विधिक प्रक्रिया अपनाकर वर्ष 1977 में उक्त आराजीयात का आवंटन विपक्षीगण को किया गया है जो विधि के अनुरूप होकर सही एवं कानूनन है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण का कभी भी इंच मात्र भूमि पर कब्जा नहीं रहा और वर्ष 2022 से पूर्व कभी भी प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजीयात की भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई अधिकार, हक तथा उजर ऐतराज कभी भी जाहिर नहीं किया गया है। उक्त भूमि का आवंटन विपक्षीगण के पिता स्व. डालू गरू के नाम हुआ था जिनकी वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है तथा उनकी मृत्यु के उपरांत भी यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। स्व. श्री डालू के जीवनकाल में आवंटन आदेश वर्ष 1977 को कभी भी प्रार्थीगण

न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर

जिला कलक्टर
उदयपुर

द्वारा चुनौती नहीं दी थी परन्तु वर्तमान में डालू गरू के जीवित नहीं होने के कारण उक्त भूमि को हड़पने का प्रयास प्रार्थीगण द्वारा किया गया है। आवंटन अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिक आवंटन आदेश पारित किया गया है उक्त आवंटन आदेश विधि का उल्लंघन कर पारित नहीं किया गया है इसलिए उक्त आदेश किसी प्रकार से शून्य व अवैध नहीं है। अतः विपक्षीगण का उक्त जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मध्य नजर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा भूमि आवंटन परामर्शदात्री समिति की सहमति से दिनांक 21.10.1977 को मौजा गजपुरा तहसील वल्लभनगर की बिलानाम खसरा नंबर 46/1 रकबा 5 बीघा भूमि डालू पिता हरिराम को आवंटित की गई। डालू पिता हरिराम द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं किये जाने एवं मौके पर कब्जा नहीं होने से न्यायालय हाजा द्वारा जरिये प्रकरण सं 17/96 दिनांक 24.01.97 से डालू पिता हरिराम को किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि को पुनः राजस्व रेकर्ड में बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश किये गये थे। दौराने बहस उभयपक्ष ने उक्त आवंटन आदेश को निरस्त होने की बात स्वीकार की है।

प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा 14(4) के अंतर्गत चाही गई दाद (relief) पूर्व में ही न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 17/96 निर्णय दिनांक 24.01.1997 से दिये जाने के कारण अब इस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होकर निस्तारित किया जाता है। चूंकि उक्त भूमि के संबंध में डालु पिता हरीराम गरू के हक में किया गया आवंटन इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.01.1997 से पूर्व में ही खारिज कर दिया गया था परन्तु इसके बावजूद राजस्व अधिकारियों ने त्रुटि करते हुए उक्त भूमि का डालु पिता हरीराम के हक में खातेदारी अंकन का नामांतरकरण दिनांक 07.12.2004 को पारित कर दिया जो कि सर्वथा अनुचित था। अतः इस न्यायालय में उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध दायर नामांतरकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्र.स. 08/23 दिनांक 23.06.2025 में पृथक निर्णय करते हुए अपील स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 57 दिनांक 07.12.2004 खारिज करते हुए भूमि बिलानाम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है।

निर्णय की प्रति मय आवंटन पत्रावली 1504/77 उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर एवं तहसीलदार भीण्डर/वल्लभनगर को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर